

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख हुकम

लक्ष्मण

बनाम

धारा सिंह

मु.नं. 150/21

T.I

01.01.26

अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5.02.26 को पेश हो।

05.2.26

पत्रावली पेश हुई। वकील सार्थक उपस्थित। वकील सार्थक ने अप्रार्थक सं. 03 लगा 05, 07 लगा 10, 12 लगा 14, 16 के तलवाग सम्मत पेश नहीं किये। तलवाग सम्मत पेश करने हेतु समय चला। न्यायिक प्रक्रिया में अंगूठे अवर दिख जाता है। पत्रावली वालि तलवी अप्रार्थक सं. 03 लगा 05, 07 लगा 10, 12 लगा 14, 16 दिनांक 10.2.26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

10-2-26

अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12.2.26 को पेश हो।

12.2.26

पत्रावली पेश हुई। वकील सार्थक उपस्थित। रस डा. पत्रा 1.2 से सम्बद्ध मूल दावा वादीगण द्वारा अविवादी की शर्तों पर स्प्रीट फोर ड्रॉ रस्तीक पेशान करने एवं निर्देशों की अपहोतना में स्वरिज हो चुका है। इसलिए इस सा.पत्रा 1.2 का अब कोई औचित्य नहीं रहा। इसलिए मूल दावा के स्वरिज होने पर इस पत्रावली से अविवादी शर्तों पर समाप्त की जाती है और पत्रावली से दिनांक 24.12.21 से जारी अन्तरिम अल्पाई निर्देशानुसार के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली केवल शुभार होकर स्थगित प्रकृत हो।